

दिनांक / Dated: 08.01.2026

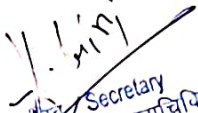
कठोर चेतावनी एवं निरोधात्मक विज्ञप्ति

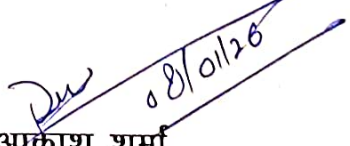
विषय : परिषद द्वारा निर्गत प्रयोगात्मक प्रवेश-पत्र के बिना प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा के अवैधानिक आयोजन के संबंध में।

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद के संज्ञान में यह अत्यंत गंभीर एवं आपत्तिजनक तथ्य आया है कि परिषद से संबद्ध कुछ महाविद्यालयों द्वारा परिषद द्वारा निर्गत प्रयोगात्मक प्रवेश-पत्र (Practical Admit Card) के बिना ही प्रयोगात्मक (Practical) एवं मौखिक (Viva-Voce) परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रवेश-पत्र के अभाव में आयोजित कोई भी प्रयोगात्मक अथवा मौखिक परीक्षा पूर्णतः अवैधानिक एवं शून्य मानी जाएगी तथा ऐसे छात्रों का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि परिषद की पूर्व अनुमति, अधिसूचना एवं प्रवेश-पत्र निर्गमन के बिना कोई परीक्षा आयोजित न करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध संबद्धता निलंबन/निरस्तीकरण, परीक्षा केंद्र की मान्यता समाप्ति एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।

यह विज्ञप्ति परिषद का अंतिम चेतावनी एवं बाध्यकारी निर्देश है, जिसका कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य होगा।


सचिव/ Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council


डॉ आकाश शर्मा
परीक्षा नियंत्रक
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद